(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2714–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–6–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 26/2013–14 अपील.

रंजीत सिंह पुत्र गम्भीर सिंह
निवासी लोधे की पाली तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. लखनसिंह पुत्र कन्धई कुशवाह
2. करनसिंह पुत्र कन्धई कुशवाह
3. नवरसिंह पुत्र कन्धई कुशवाह
4. मोहन सिंह पुत्र कन्धई कुशवाह
5. ख्यालीसिंह पुत्र कन्धई कुशवाह
6. धनश्याम पुत्र मनई कुशवाह
7. मिश्री पुत्र रतना कुशवाह
8. श्यामलाल पुत्र रतना कुशवाह
9. महिला शीलाबाई पत्नी स्व0 कल्याण सिंह कुशवाह
10. निरपत पुत्र कल्याण सिंह
11. होतम नाबालिग पुत्र कन्याणसिंह
12. नीलू नाबालिग पुत्र कन्याणसिंह

सरपरस्त मां शीलाबाई पत्नी स्व0 कल्याणसिंह कुशवाह
निवासीगण कस्बा नरवर तहसील नरवर जिला शिवपुरी

——— अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक कं 1 लगायत 5

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २8 मार्च 2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर सीाग

ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कस्बा नरवर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1675 एवं 1676 कुल किता 08 रकवा 0.93 हेक्टर भूमि उभय पक्ष के सामिलाती खाते की भूमि थी। अनावेदक कमांक 6 लगायत 12 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि सर्वे कमांक 1676 के रकबे में से आवेदक का नाम छूट गया है अतः अनावेदक कमांक 6 लगायत 12 का नाम सर्वे कमांक 1676 रकवा 0.13 हैक्टर पर शामिल खाता किया जाये। तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 31–8–2012 के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया। जिसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही के उपरांत आदेश दिनांक 23–8–2013 को अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 28–6–16 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि प्रश्नाधीन सर्वे कमांक उभय पक्ष के सामिलाती खाते की भूमि थी जिसपर बिना किसी सक्षम अधिकारी के सर्वे कमांक 1676 पर से अनावेदक कमांक 6 लगायत 12 का नाम हटा दिया गया जिसके त्रुटि सुधार हेतु ही अनावेदक कमांक 6 लगायत 12 द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु तहसीलदार ने समयावधि के बिन्दु पर आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त कर भूमिस्वामी के नाम राजस्व रिकार्ड में

जोडने के आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है। यह भी तर्क दिया किया अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में उभय पक्ष के मध्य आपसी समझौता हो गया था इसके बावजूद भी अपर आयुक्त ने आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में अवैधानिकता की गई है। उभय पक्षों के मध्य हुये राजीनामे के आधार पर तहसीलदार नरवर के समक्ष आदेश दिनांक 30–7–2015 को बटवारा हो गया है जिसपर द्वितीय अपीलीय न्यायालय विचार नहीं करने में अवैधानिकता की गई है। आवेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र से भूमि कय की है ऐसी स्थिति में उसके हितों पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए था। किन्तु द्वितीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के वैधानिक हितों पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है। तर्क में यह भी कहा कि संयुक्त खाते की भूमि का बिना बटवारा हुये डायवर्सन की कार्यवाही विधिसंगत नहीं कही जा सकती। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि तहसीलदार के समक्ष 17 वर्ष पश्चात संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार ने निरस्त करने में उचित कार्यवाही की जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा है। यह भी तर्क किया कि बंदोबस्त के पूर्व से ही आपसी बटवारा हो गया था जिसके पश्चात अनावेदकगण द्वारा वर्ष 1991 में प्रश्नाधीन भूमि का डायर्वसन करा लिया था, जिसके पश्चात नगर पंचायत नरवर से निर्माण कार्य हेतु अनुमति प्रदान की गई है। सभी पक्ष अपनी–अपनी भूमि पर काबिज हैं। अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधी आराजियां

अनावेदकगण के संयुक्त खाते की भूमि है जिसके सर्वे कमांक 1676 के र वा 0.13 हे0 भूमि पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के भूमि अपने नाम अभिलेख में दर्ज करा ली गई। अनावेदक कमांक 6 लगायत 12 द्वारा संयुक्त भूमि पर से उनका नाम हट जाने से जानकारी दिनांक से संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत आवेदन पेश कर त्रुटि सुधार किया जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार ने समय–सीमा के बाहर मानकर निरस्त किया है। तहसीलदार ने संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तु किये जाने की समय–सीमा 1 वर्ष होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया है। 1998 आर एन 206 द्रौपदी (मुस.) तथा अन्य विरूद्ध कौशल्या तथा एक अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 116– खसरा अथवा किसी भू–अभिलेख की शुद्धि के लिए आवेदन – एक वर्ष की परिसीमा– गलत प्रविष्टि की जानकारी से प्रारंभ होती है। 1984 रा नि 326 प्रभेदिता।"

स्पष्ट है कि यदि बिना किसी सक्षम अधिकारी के की गई गलत प्रविष्टि की जानकारी होने पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है मात्र समय–सीमा के बिन्दु पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधारा जा सकता है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के अवैधानिक आदेश को निरस्त कर त्रुटि सुधार किये जाने के आदेश दिये गये है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है। अनावेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उसके द्वारा भूमि का डायवर्सन करा लिया था क्योंकि बिना सक्षम अधिकारी के की गई प्रविष्टि के आधार पर यदि प्रश्नाधीन भूमि का डायवर्सन करा लिया गया हो तो वह भी औचित्यहीन होने से निरर्थक हो जा जाता है। जहां तक आवेदक के तर्कों का प्रश्न है आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 6 लगायत 12 से 30–10–13 पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से भूमि कय की गई है। अभिलेख

के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पश्चात आवेदक द्वारा भूमि कय करने के उपरांत नामांतरण करा लिया है। आपसी समझोते के आधार पर बटवारा हो गया है। अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पृष्ट कमांक 55 लगायत 59 पर दिनांक 24–12–2014 को आपसी सहमति का बटवारा विलेख की छायाप्रति संलग्न है जिसमें उभय पक्ष ने आपसी सहमति संलग्न मानचित अनुसार बटवारा होना स्वीकार किया है। तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 56/14–15/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 30–7–2015 को बटवारा भी हो गया है तथा उक्त बटवारे के आधार पर बंटाक कायम होकर खसरों में इन्द्राज हो गया है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है जब उभय पक्ष के द्वारा उनके समक्ष मध्य आपसी सहमति स्वरूप बटवारा प्रस्तुत कर दिया गया था तब उसको तरजीह दी जाकर एवं अभिलेख का परिसीलन कर ही आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु ऐसा न कर मनमाना निष्कर्ष निकालकर पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश देने में अवैधानिकता तथा अनियमितता की गई है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 28–6–2016 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी नरवर का आदेश दिनांक 23–8–2013 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर